न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 01/2013 (2013/00111) जिला–नागौर

1. रामनिवास पुत्र चन्द्राराम
   रामनिवास पुत्र दयाराम
   जति जाट, निवासी बीटन, तहसील मेड़ता जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामप्रकाश पुत्र दयाराम
2. तीजी देवी पत्नी दयाराम
   समस्त जाति जाट, निवासी बीटन, तहसील मेड़ता जिला नागौर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता दिनांक 03–09–2012
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 297/2012
बउनवान रामप्रकाश व अन्य बनाम राज0 सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री दिनेश साहू अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री सहदेव चौधरी अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः– 01–11–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में शुद्धिकरण हेतु प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 3–9–2012 से स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में खातेदारों के नाम शुद्धिकरण के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–9–2012 की जानकारी दिनांक 12–12–2012 को पटवारी हल्का बीटन से हुई जब प्रार्थीगण पटवार हल्का के पास अपनी आराजी की जमाबंदी लेने गये तब पटवारी हल्का के पास अपनी आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 13–12–2012 को प्रस्तुत किया जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त कर अभिभाषक से सम्पर्क कर जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर भी उभय पक्ष को सुना गया। अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–9–2012 से अपीलार्थीगण व्यथित एवं पीड़ित पक्षकार है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में जिस आराजी का विवेचन किया गया है उस आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलार्थीगण है तथा अपीलार्थीगण को बिना सुने तथा पक्षकार बनाए बिना अपीलार्थीगण के हितो के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे अपीलार्थीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। चूंकि अपीलार्थीगण के विवादित आराजियात में हित निहित है और उक्त निर्णय से अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजियात प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 की शामलाती आराजियात है। तहसीलदार मेड़ता ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 रामप्रकाश का आराजी खसरा नम्बर 183 रकबा 1.28 हैक्टर व खसरा नम्बर 186 रकबा 0.34 हैक्टर पर कब्जा काश्त होने से अन्य खातेदारों के स्थान पर प्रत्यर्थीगण को खातेदारी दी जाना उचित है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 तीजी देवी की 0.57 हैक्टर आराजी खसरा नम्बर 186 में है। तीजी देवी का खसरा नम्बर 186 में से 0.57 हैक्टर पर कब्जा काश्त होने से शुद्धिकरण किया जाना उचित माना है। जिससे अपीलार्थीगण कतई उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है जिससे उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है जिससे अपीलार्थीगण का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की धारा–96 सीपीसी पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थीगण प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थीगण का धारा–96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–9–2012 पारित करते समय इस विधिक बिन्दु को नजर अन्दाज किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उसमें जो विवादित आराजियात के संबंध में जिन खसरा नम्बरों का विवेचन किया है उस आराजी में वर्तमान अपीलार्थीगण का हक व अधिकार निहित है चूंकि वर्तमान अपीलार्थीगण ने प्रकरण में अंकित आराजी जिसके खातेदार निम्बाराम पुत्र दुर्गाराम जाट हिस्सा 0.57 हैक्टर जिसको वर्तमान अपीलार्थीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 4–11–2010 को क्रय कर लिया था तथा क्रय करने के पश्चात विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 477 दिनांक 20–11–2010 अपीलार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया गया। इस प्रकार अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजियात के रेकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है जिनको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण को बिना सुने खातेदारी समाप्त कर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम आराजी अंकित कर दी जबकि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत किसी खातेदार की भूमि को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता उसके लिए सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर चाराजोही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी विवेचन किया है कि

प्रत्यर्थी रामप्रकाश को नये खसरा नम्बर 183 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.34 हैक्टर पर कब्जा काश्त होने से अन्य खातेदारों के स्थान पर खातेदारी दी जाना उचित है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 तीजी देवी के शामलाती 0.57 हैक्टर खातेदारी खसरा नम्बर 184, 186, 187, 190, 191 में दर्ज है जबकि तीजी वगैरह 0. 57 हैक्टर पर केवल खसरा नम्बर 186 में कब्जा काश्त है । अतः तीजी वगैरह का 0.57 हैक्टर की खातेदारी में केवल खसरा नम्बर 186 में से 0.57 हैक्टर दिया जाना उचित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण की खातेदारी आराजियात को अदृश्य रूप से समाप्त कर दिया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इस विधिक बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि उनके समक्ष धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तो उनकों उक्त प्रावधानों के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहिए था। धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रकरणों में दोनों पक्षों की जहां सहमति होने पर ही त्रुटि दुरूस्त करवाई जा सकती है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वर्तमान अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाए बिना एवं बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित ओदश दिनांक 3–9–2012 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि गया अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। ग्राम बीटन की विवादित आरायिजात खसरा नम्बर 73 मिन रकबा 10 बीधा प्रत्यर्थीगण की खातेदारी की कब्जा शुदा आराजी है जमाबंदी खाता संख्या 327 सम्वत् 2054–57 में दर्ज है। प्रत्यर्थी संख्या 2 तीजी देवी ने शिवलाल पुत्र बक्षाराम के हिस्से की जमीन करीब 3.10 बीघा क्रय की थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 563 स्वीकृत होकर जमाबंदी खाता संख्या 461 सम्वत् 2067–70 में अमल दरामद हो गया मौके पर दोनों रकबा एक ही में दर्ज हो गया । इसी प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1 रामप्रकाश की खातेदारी में 1.62 हैक्टर व प्रत्यर्थी संख्या 2 तीजी देवी का 0.57 हैक्टर कायम हुए। नवीन सेटलमेंट में अन्य खेत खसरा नम्बर 184 रकबा 0.78 हैक्टर खसरा नम्बर 186 रकबा 1.46 हैक्टर , खसरा नम्बर 187 रकबा 5.03 हैक्टर खसरा नम्बर 190 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.20 हैक्टर कुल 8.19 हैक्टर में प्रत्यर्थीगण की शामलाती खातेदारी की भूमि है। तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 183 व 186 में प्रत्यर्थीगण का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेंड़ता ने तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बीटन का खेत खसरा नम्बर 183 रकबा 1.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.34 हैक्टर में अन्य खातेदारों के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या 1 रामप्रकाश का नाम दर्ज किये जाने एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 तीजी देवी का खसरा नम्बर 184, 186, 187, 190, 191 में शामलाती नाम दर्ज होने से प्रत्यर्थी संख्या 2 तीजी देवी का खसरा नम्बर 186 में

रकबा 0.57 हैक्टर में नाम दर्ज कर शुद्धिकरण करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3–9–2012 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ने तहसीलदार, मेड़ता की रिपोर्ट दिनांक 9–8–2012 के अनुसार ग्राम बीटन की आराजी खसरा नम्बर 73 में प्रत्यर्थी संख्या 1 रामप्रकाश पुत्र दयाराम कौम जाट निवासी बीटन के नाम रकबा 90 बीघा खातेदारी की भूमि दर्ज थी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रामप्रकाश की अलग से दर्ज खातेदारी की भूमि को अन्य खातेदारों के साथ शामिल करते हुए खसरा नम्बर 184 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 186 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 187 रकबा 5.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 190 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 8.19 हैक्टर शामिल दर्ज कर दी है। प्रत्यर्थी रामप्रकाश का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 183 व 186 में मौके पर है तथा खसरा नम्बर 183 की खातेदारी अन्य खातेदारों के नाम से है। प्रत्यर्थी संख्या 1 रामप्रकाश को नये खसरा नम्बर 183 रकबा 1.28 हैक्टर व खसरा नम्बर 186 रकबा 0.34 हैक्टर पर कब्जा काश्त होने से अन्य खातेदारेां के स्थान पर खातेदारी दिया जाना उचित माना है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 तीजी देवी वगैरह की शामलाती भूमि 0.57 हैक्टर खातेदारी खसरा नम्बर 184, 186, 187, 190, 191 में दर्ज है जबकि तीजी देवी वगैरह का 0.57 हैक्टर केवल खसरा नम्बर 186 में कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर शुद्धिकरण के आदेश पारित किये है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ने तहसीलदार, मेड़ता की रिपोर्ट दिनांक 9–8–2012 के आधार पर शुद्धिकरण करने के एकपक्षीय आदेश पारित कर दिये। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27–7–2012 में उल्लेखित किया है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 रामप्रकाश की अलग से दर्ज खातेदारी भूमि को अन्य खातेदारों के साथ शामिल करते हुए खसरा नम्बर 184, 186, 187, 190, 191 कुल किता 5 कुल रकबा 8.19 हैक्टर के साथ दर्ज कर दी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किसके आदेश से प्रत्यर्थी संख्या 1 की भूमि को अन्य खातेदारों के साथ शामिल दर्ज की है, का कोई अंकन नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट को आधार मानते हुए एकपक्षीय सुनकर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बरान की शुद्धिकरण के आदेश पारित कर दिये जबकि दूसरे पक्ष को न तो सुना गया और न ही पक्षकार बनाया गया है। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पर अपने अधिनस्थ अधिकारी तहसीलदार मेड़ता से मात्र रिपोर्ट

प्राप्त कर बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये निर्णय पारित कर दिया जो उचित नहीं है क्योंकि नक्शा ट्रेस एवं तरमीम करने तथा राजस्व रेकार्ड में शुद्धिकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर निर्णय करने से पूर्व संबंधित भूमि से लगते हुए चारों दिशाओं की ओर के खातेदारों को सुनना एवं उनके एतराज पर गौर करना राजस्व अधिकारी के लिए नियमानुसार आवश्यक है। अधीस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात के लगते पड़ौसी खातेदारों को बिना सुने व बिना पक्षकार बनाए अपीलाधीन आदेश दिनांक 3–9–2012 पारित किया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3–9–2012 अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 297/2012 रामप्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान सरकार त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रत्यर्थीगण की खातेदारी की आराजियात से लगते हुए पड़ौसी खातेदारान एवं अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाकर उनकी विधिवत सुनवाई कर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का भंलीभांति अवलोकन करे तथा तहसीदार मेड़ता से विवादित आराजियात पर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण की मौका एवं कब्जे संबंधी रिपोर्ट प्राप्त कर विवादित आराजियात से संबंधित समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों व रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन कर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 01–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर